मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04 /02/2021

क्रमांक 217 /3608/2018/38-1: प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को यूजीसी सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स (दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2018 तक) के भुगतान के संबंध मे विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11/2018/38-1, दिनांक 18.01.2019 की कंडिका-7 की उपकंडिका-7.1, 7.2 एवं 7.3 अनुसार निर्देश है।

2/ यूजीसी सातवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2018 की अवधि की कुल एरियर्स का महाविद्यालयों के शिक्षकों/अधिकारियों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना है।

3/ वित्त विभाग से प्राप्त राशि के आधार पर 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायें एवं शेष राशि वित्त विभाग से उपलब्ध होने पर भुगतान किया जायें।

4/ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को 50 प्रतिशत का भुगतान कर भुगतान की गई राशि का प्रमाण पत्र वचन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में संयुक्त संचालक-वित्त, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे, जिससे भुगतान की गई 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा सकें।

5/ संयुक्त संचालक-वित्त, उच्च शिक्षा, शासकीय महाविद्यालयों के पात्र शिक्षकों को 50 प्रतिशत का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

6/ एरियर्स की राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती कर राशि अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानांतरित की जाए।

7/ यह आदेश वित्त विभाग के पृ.क्रमांक 133/सी.आर./1036/बजट-3/चार, दिनांक 10.12.2018 मे दी गई सहमति के अनुसार जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

04/02

(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक:218 /3608/2018/38-1 भोपाल, दिनांक04/02/2021

प्रतिलिपि:-

1/ सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय(शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन, सी-विंग, नई दिल्ली।

2/ प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।

3/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश।

4/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

5/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।

6/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

7/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।

8/ अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग(शाखा-01 एवं 03), मंत्रालय, भोपाल।

9/ समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

10/ कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

11/ समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

12/ संयुक्त संचालक-वित्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

13/ समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

14/ समस्त कोषालय/जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

15/ आई.टी. सेल कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल।

16/ आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04/02/21

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा विभाग